

**पूर्व मध्य रेल****कार्यालय आदेश सं०: राज/206/2024**

सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल/पूर्व मध्य रेल/पटना में नियुक्त निम्नलिखित PTDS (6 Hrs. daily) का अवधि विस्तार/पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने हेतु जारी किया जाता है :-

| क.सं. | चिकित्सक का नाम | पद/स्थान                                                                                                             | वर्तमान पद/स्थान                                                           | अभियुक्ति                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | डॉ० नदीम हसन    | (PTDS, 6Hrs. daily)/सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल/पूर्व मध्य रेल/पटना (पूर्व टर्म समाप्ति की तिथि - 02.08.2024) | (PTDS, 6Hrs. daily)/सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल/पूर्व मध्य रेल/पटना | डॉ० नदीम हसन को संविदा के आधार पर द्वितीय टर्म (1 <sup>st</sup> extension) के तहत (PTDS, 6Hrs. daily) के रूप में दिनांक-27.08.2025 तक के लिए तैनात किया जाता है। |

उपरोक्त संविदा का अवधि विस्तार प्रविस/पूमरे/हाजीपुर के वित्तिय सहमति एवं चिकित्सा निदेशक/पूमरे/केन्द्रीय/चिकित्सालय/पटना के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

- (1) पूर्णकालिक संविदा के आधार पर डॉ० नदीम हसन की तैनाती उपरोक्त इंगित स्थान पर योगदान की तिथि से एक वर्ष यथा दिनांक-27.08.2025 तक अथवा नियमित चिकित्सक की उपलब्धता, इनमें से जो भी पहले हो तक मान्य होगा।
- (2) पदभार ग्रहण रिपोर्ट समय से उपमुकाधि/राज/पूमरे/हाजीपुर एवं संबंधित बिल अनुभाग को भेजें।
- (3) रेल परिषद द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-E(GR)II/9/16 दिनांक-14.05.99 के अनुपालन में दो अवधि के बीच में कम से कम एक सप्ताह का break होना चाहिए।
- (4) तैनाती से पूर्व चिकित्सा निदेशक केन्द्रीय चिकित्सालय/पटना एवं डॉ० नदीम हसन के बीच संबंधी दस्तावेज करारनामा की प्रति इस कार्यालय को अद्वतन एवं रिकार्ड हेतु भेजी जाए।
- (5) उपरोक्त चिकित्सक का पारिश्रमिक भुगतान आर्बिट्रि निधि से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आयकर के मद में आवश्यक कटौती (यदि कोई हो) सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (6) रेलवे आवास से संबंधित मामले का निष्पादन नियमानुसार किया जाए।
- (7) PTDS को पारिश्रमिक भुगतान के समय उनके कार्य के अवधि को दृष्टिगत रखा जाए।

उज्जित 28/08/24

सहायक कार्मिक अधिकारी/राज०  
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

01. महाप्रबंधक के सचिव - महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. प्रविस/पूमरे/हाजीपुर
03. प्रमुकाधि के सचिव - प्रमुकाधि महादेय के सादर सूचनार्थ
04. प्रमुचिनि/पूमरे/हाजीपुर
05. चिकित्सा निदेशक/पूमरे/केन्द्रीय चिकित्सालय/पटना
06. सकाधि(बिल)/पूमरे/हाजीपुर
08. संबंधित चिकित्सक द्वारा चिकित्सा निदेशक/केन्द्रीय चिकित्सालय/पटना
09. सकाधि/एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।